



द्वारा ई-मेल/डाक

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी-7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर -302016

Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-4004914

Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com.

क्रमांक:पैरामेडि.कौ/मान्यता/2024/876

दिनांक:- 06/08/2024

-: कार्यालय आदेश :-


राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से सम्बद्ध राजकीय एवं निजी पैरामेडिकल संस्थानों/महाविद्यालयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क वर्तमान में इस प्रकार निर्धारित था :-

Tuition Fees -	Rs. 35,000/- 1 st year Rs. 35,000/- 2 nd year
Caution money - Except fee (once in Course duration and refundable after completion of course)	Rs. 5,000/-
Uniform Fee - (Once in Course duration)	Rs. 1500/-

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर रिट याचिका संख्या 17910/2022 में पारित आदेश दिनांक 03.02.2023 की पालना के संबंध में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल की बैठक दिनांक 13.06.2024 में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से मान्यता प्राप्त संस्थानों/महाविद्यालयों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क निम्नानुसार बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया :-

Academic Year 2024-2025 and Onwards	Charges (Rs)
Tuition Fees -	Rs. 50,000/- 1 st year Rs. 55,000/- 2 nd year
Caution money - Except fee (once in Course duration and refundable after completion of course)	Rs. 5,000/-
Uniform Fee - (Once in Course duration)	Rs. 1500/-

उक्त आदेश राज्य सरकार की आई.डी. संख्यां RPMC/118/2024-28872 के द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।


(महेन्द्र प्रताप सिंह)
R.A.S.


रजिस्ट्रार

दिनांक:- 06/08/2024

क्रमांक:पैरामेडि.कौ/मान्यता /2024/876

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय राजस्थान सरकार ।
2. निजी सचिव, माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर ।
3. संयुक्त शासन सचिव, महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर ।
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज., जयपुर ।
5. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर ।
6. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय/निजी पैरामेडिकल संस्थान/महाविद्यालय राजस्थान ।
7. लेखा/रोकड शाखा, कार्यालय हाजा ।
8. कार्यालय प्रति ।


रजिस्ट्रार